पत्रांक–07/विविध(भूमि हस्तान्तरण)–06–38/2025–25 (7)/रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त;
सभी समाहर्त्ता;
सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 14/01/2026

विषय :– सरकारी भूमि के निर्गत जमाबंदी का रद्दीकरण।

प्रसंग :– बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9(4)

महाशय,

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–1242(7), दिनांक–19.12.2025 का कृपया संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा सरकारी भूमि के अवैध हस्तान्तरण पर रोक लगाई गई है। इसी अभियान की दूसरी कड़ी में सरकारी भूमि का पूर्व में निर्गत गलत/संदिग्ध/अवैध जमाबंदी को रद्द करने की जिम्मेवारी प्राथमिक तौर पर अपर समाहर्त्ता में निहित है, जो स्वप्रेरणा (Suo-Moto) अथवा निचले पंक्ति के राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन अथवा अन्य आवेदक से सूचना प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त राजस्व न्यायालय में वाद प्रारंभ करेंगे।

2. यद्यपि "लोक भूमि" का अभिप्रेत बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 परिभाषित है, फिर भी अपर समाहर्त्ता निम्नलिखित सरकारी भूमि की जमाबंदी रद्दीकरण में स्वप्रेरणा से वाद प्रारंभ कर नियमानुसार निस्तार करेंगे:–

(क) सर्वे खतियान में जमीन

(i) गैर मजरूआ आम;

(ii) कैसरे हिन्द;

(iii) खासमहाल दर्ज हो एवं पूर्व में सरकार द्वारा विधि सम्मत बन्दोबस्ती/पट्टा निर्गत नहीं किया गया हो।

(ख) यदि उक्त भूमि पूर्व में जिला परिषद्, नगर पंचायत, नगर परिषद्, नगर निगम, ग्राम पंचायत का होने का दस्तावेज/अभिलेख हो;

(ग) यदि उक्त भूमि राज्य सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड अथवा निगम यथा–BIADA से संबंधित हो;

(घ) यदि उक्त भूमि भारत सरकार के किसी मंत्रालय/संस्थान, (रक्षा मंत्रालय/डाक विभाग/रेल मंत्रालय इत्यादि) से संबंधित हो;

(ङ) यदि उक्त भूमि धार्मिक न्यास पर्षद/वक्फ बोर्ड/सरकारी/अर्द्ध–सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रस्ट, गोशाला, इत्यादि से संबंधित हो।

3. अपर समाहर्त्ता निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार सरकारी भूमि का अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण वादों का निस्तार नियमानुसार करेंगे:–

क्र0	कार्य	अवधि
(क)	RCMS में वाद प्रारंभ करना (संतुष्टी पश्चात्)	आवेदन के 03 (तीन) कार्य दिवस के अन्दर
(ख)	विधि सम्मत सूचना निर्गत	7 (सात) कार्य दिवस के अन्दर
(ग)	CPC आदेश V के अनुसार सूचना तामिला (इलेक्ट्रॉनिक/स्पीड पोस्ट)	7 (सात) कार्य दिवस के अन्दर
(घ)	वाद की सुनवाई (यथा संभव अधिकतम् तीन सुनवाई)	15 (पन्द्रह) कार्य दिवस के अन्दर
(ङ)	सुनवाई के पश्चात् Summary लिखित वक्तव्य (Written Statement)	7 (सात) कार्य दिवस के अन्दर
(च)	मुखर आदेश पारित कर RCMS पोर्टल पर अपलोड	7 (सात) कार्य दिवस के अन्दर
	कुलः–	**45 (पैतालिस) कार्य दिवस**

उपर्युक्त के आलोक में बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9(4) के अन्तर्गत वाद 45 दिनों में निष्पादित किये जाऐंगे।

4. सभी अपर समाहर्त्ता अपने न्यायालय में लंबित सरकारी भूमि के जमाबंदी रद्दीकरण के सभी वाद की अद्यतन सूची प्रतिमाह मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। प्रथम प्रतिवेदन दिनांक–01.02.2026 तक अपेक्षित है, जिसमें दिनांक–31.12.2025 तक के वादों की सूची देंगे।

5. विभागीय पोर्टल RCMS में इसकी प्रगति को दर्ज करने हेतु अलग से व्यवस्था की जा रही है।

6. **अंचल अधिकारी के कृतः** (क) दिनांक–03 जून, 1974 से अंचल अधिकारी अपने अंचल के सरकारी भूमि के लिए कलेक्टर घोषित हैं;

(ख) यदि उनके कार्यकाल में सरकारी भूमि का अवैध हस्तान्तरण जाँचोपरान्त पाया जाता है, तो वे अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे;

(ग) यदि उनके कार्यकाल में सरकारी भूमि का निजी व्यक्तियों को जमाबंदी खोलने एवं दाखिल–खारिज की गई हो, तो वे विभागीय कार्रवाई के भागी होंगे।

(घ) अंचलाधिकारी अभियान चलाकर पुराने अभिलेखों का स्वयं निरीक्षण कर ऐसे कंडिका–2 में चिन्हित सभी मामलों का अलग–अलग प्रतिवेदन बनाऐंगे तथा सीधे अपर समाहर्त्ता को दिनांक–31.01.2026 तक प्रेषित करेंगे।

7. **समाहर्त्ता के कर्त्तव्यः** समाहर्त्ता अपने अधिकार क्षेत्र में लोक भूमि/सरकारी भूमि/सार्वजनिक भूमि के संरक्षक घोषित है, अतः जमाबंदी रद्दीकरण के अभियान का विशेष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करेंगे, ताकि कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/रिविजनल सर्वे (RS) में दर्ज सरकारी भूमि की वापसी सरकारी खाते में हो सके एवं Land Bank का सृजन जिला स्तर पर एवं अंचल स्तर पर हो सके।

अतएव वर्ष, 2005 के बाद बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि का अलगाव/भूमि हस्तांतरण/जमीन से बेदखल होने के मामलों का स्वयं निरीक्षण करके उक्त भूमि की वापसी के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने का जिला स्तर पर पूर्ण दायित्व समाहर्त्ता का रहेगा।

विश्वासभाजन,
14/01/2026
(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।